राजस्थान सरकार

कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

(साधारण बीमा निधि)

वित्त भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

मेडिक्लेम पॉलिसी के महत्वपूर्ण निर्देश

राज्य सरकार एवं विद्युत कम्पनियों एवं विभिन्न निगम/बोर्डो में दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों की मेडिक्लेम पॉलिसियों का संचालन राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है। मेडिक्लेम पॉलिसी के अन्तर्गत सभी राजकीय चिकित्सालयों एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सालयों में ईलाज की सुविधा प्रदान की गई है।

ईलाज की सुविधा हेतु सीजीएचएस दर पर पॉलिसी की शर्तो के अनुरूप एक वर्ष में अधिकतम 2 लाख रूपये देय है। गैर अनुमोदित चिकित्सालय में ईलाज कराने की स्थिति में पुर्नभरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

राज्य के अनुमोदित अस्पताल में भर्ती होने के समय अपनी पहचान व्यक्त करने के लिए अस्पताल में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र (पॉलिसी का Appendix 5) आवश्यक रूप से भरें। यदि कर्मचारी निर्धारित फार्म भरकर ईलाज नहीं करवाता है एवं उससे चिकित्सालय द्वारा सीजीएचएस से अधिक राशि वसूली जाती है तो समस्त जिम्मेदारी स्वयं बीमित की होगी।

दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि डिस्चार्ज दिनांक से 90 दिवस है।

पुनर्भरण वादों को प्रस्तुत करते समय दावा प्रपत्र के साथ बैंक पास बुक की फोटो कॉपी/ बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, मोबाईल नम्बर एवं एम्पलॉई आई–डी की आवश्यक रूप से देवें।

File: D:\backup\D DRIVE\swati\letter\